

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAMNATH MARG, DELHI-110054

Dated: the 14-09-2015

NOTIFICATION

No. F. 8(39)/2015/DAM/MR/2061 . – In pursuance of the provisions of sub-section (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the following bye-laws made and adopted by the Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi and confirmed by the Director are hereby notified as under:

“BYE-LAWS”

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi hereby makes the following Bye-Laws further to amend the Flower Market Committee, Mehrauli, Delhi Bye-Laws, 2000 as follows, namely :-

Short title and Commencement. - (i) These Bye-Laws may be called the Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi (Amendment) Bye-Laws, 2015.

(ii) They shall come into force at once.

Amendment of Bye-Law No. 12. - In the Flower Market Committee, Mehrauli, Delhi Bye-Laws, 2000, in Bye-Law 12 a proviso, shall be added in the end as follows, namely:-
“Provided that the Marketing Committee may grant administrative approval and expenditure sanction for development work upto rupees thirty lacs.”

(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F.8 (39)/2015/DAM/MR/2062-76

Dated: 14-09-2015

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi.
11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.



(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

कृषि विपणन निदेशालय

(विकास विभाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 14-09-2015

अधिसूचना

सं0फा0 8(39)/2015/डी.ए.एम./एम.आर./2061 - दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 118 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसरण में पुष्प विपणन समिति, आईएफसी गाजीपुर द्वारा निर्मित और स्वीकृत तथा निदेशक द्वारा पुष्टिकृत निम्नलिखित उप-विधियाँ एतद्वारा अधिसूचित की जाती हैं :-

उपविधियाँ

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 118 की उपधारा (1), (2) व (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुष्प विपणन समिति, आईएफसी गाजीपुर, पुष्प मंडी समिति, महारौली, दिल्ली उपविधियाँ, 2000 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

(1) ये उपविधियाँ पुष्प विपणन समिति, आईएफसी गाजीपुर, दिल्ली (संशोधन) उपविधियाँ, 2015 कही जायें ।

(2) ये तत्काल लागू होंगी ।

उपविधि संख्या - 12 का संशोधन :-

पुष्प मंडी समिति, महारौली, दिल्ली उपविधियाँ, 2000 की उपविधि 12 के अन्त में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“उपबंध है कि विपणन समिति तीस लाख रुपये तक विकास कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान कर सकती है।”

(वी. पी. राव)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं. एफ 8(08)/2015/डी.ए.एम./एम.आर./2062-76
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 14-09-2015

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 5 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 6 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 7 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 8 अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, नई दिल्ली को सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के द्वारा।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को इस निवेदन के साथ कि दिल्ली असाधारण गजट खंड-4 में अधिसूचना प्रकाशित करा दी जाए और उसकी प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाने के व्यवस्था कर दी जाए (दो प्रति)।
- 10 कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली एवं पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।



(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार